डा0 आशीष कुमार गोयल
आई.ए.एस.
अध्यक्ष

उत्तर प्रदेश
पावर कार्पोरेशन लिमिटेड
(उत्तर प्रदेश सरकार का उपक्रम)
शक्ति भवन, अशोक मार्ग
लखनऊ - 226001

संख्या 21 /रेस्पो/क्वालिटी सेल

दिनांक : 04-01-2024

विषय : पॉवर परिवर्तकों की क्षतिग्रस्तता के बारे में उत्तरदायित्व निर्धारण।

प्रबन्ध निदेशक,
विद्युत वितरण निगम लि0,
पूर्वांचल–वाराणसी/मध्यॉंचल–लखनऊ
दक्षिणॉंचल–आगरा/पश्चिमांचल–मेरठ
केस्को–कानपुर।

1. जैसा कि आप अवगत है कि विगत वर्ष माह अक्टूबर' 2023 में सभी प्रकार के अनुरक्षण कार्य पूर्ण किये जाने के निर्देश दिये गये थे तथा इसी उद्देश्य से माह अक्टूबर' 2023 को अनुरक्षण माह के रूप में मनाया गया था। उक्त के साथ ही "अतिरिक्त बिजनेस प्लान", "प्रति जनपद 20 करोड़ रूपये" एवं "नगर निगम" से सम्बन्धित विभिन्न योजनाओं के अन्तर्गत पावर परिवर्तकों की क्षमतावृद्धि, परीक्षण उपकरण, प्रोटेक्शन उपकरण आदि का अनुमोदन कारपोरेशन स्तर से प्रदान किया जा चुका है।
2. माह–अक्टूबर' 2023 के "अनुरक्षण माह" के अभियान में अनेक कार्य करा लिए गए है परन्तु अभी भी कतिपय स्थानों पर अनुरक्षण कार्य कराया जाना शेष है। अतः कारपोरेशन स्तर पर माह–फरवरी' 2024 को पुनः "अनुरक्षण माह" मनाये जाने का निर्णय लिया गया है, जिसके लिए पृथक से विस्तृत निर्देश जारी किये जा रहे है।
3. चूंकि पावर परिवर्तक एक अत्यन्त महत्वपूर्ण एवं क्रिटिकल इन्फ्रास्ट्रक्चर है, अतः इस सम्बन्ध में निम्न निर्देश दिये जाते है :–
   i. पावर परिवर्तक की क्षमतावृद्धि, विद्युत तंत्र का सुदृढ़ीकरण, सी0टी0, पी0टी0, ब्रेकर एवं रिले की क्रियाशीलता तथा पावर परिवर्तकों के अनुरक्षण सम्बन्धी कार्य माह फरवरी' 2024 तक करा लिये जाये। जहाँ पर पावर परिवर्तक की डिलिवरी फरवरी' 2024 के बाद सम्भावित है, वहाँ पर समस्त शेष कार्य पहले से पूर्ण कर लिये जाए।
   ii. डिस्काम के अन्तर्गत अधिभारित पावर परिवर्तकों की क्षमतावृद्धि पूर्व में प्रेषित प्रस्ताव के अनुसार अनुमोदित की जा चुकी है परन्तु फिर भी यदि अन्य पावर परिवर्तक आगामी ग्रीष्म ऋतु में अतिभारित होने की आशंका है तो आवश्यकतानुसार अतिरिक्त कार्यो का तत्काल अनुमोदन करा लें एवं मौके पर कार्य कराया जाये। इसका कार्योत्तर अनुमोदन निदेशक मण्डल से भी तत्काल ले लिया जाए।
   iii. विद्युत उपकेन्द्र की क्षमता वृद्धि के लिए अतिभारिता की प्राथमिकता के अनुसार, पावर परिवर्तक का डिलिवरी शिड्यूल तैयार कर दिया जाये तथा सभी को अवगत करा दिया जाये, जिससे समस्त तैयारी समय से पूर्व हो जाए।
   iv. उपकेन्द्र पर प्रोटेक्शन हेतु लगे Relays का Synchronization इस प्रकार किया जाए कि ट्रिपिंग की आवृत्ति (Frequency) तथा समय न्यूनतम हो साथ ही इसका विद्युत तंत्र पर विपरीत प्रभाव न पड़े।
   v. अधिशासी अभियन्ता (परीक्षण) समस्त उपकेन्द्रों के प्रोटेक्शन सिस्टम की जाँच करते हुए इनको क्रियाशील अवस्था में रखना तथा न्यूनतम ट्रिपिंग हेतु व्यवस्था सुनिश्चित करेंगे।

फोन : 0522 - 2287801, 4048612 । ई मेल : chairmanuppcl@gmail.com

vi. अधिशासी अभियन्ता (वितरण) द्वारा भी शत–प्रतिशत उपकेन्द्रों का चेक लिस्ट (संलग्न) के अनुसार निरीक्षण किया जाए।

vii. अधीक्षण अभियन्ता तथा मुख्य अभियन्ता द्वारा भी 20–20 पृथक उपकेन्द्रों का चेक लिस्ट के अनुसार निरीक्षण किया जाए।

4. डिस्काम अपने स्तर से भी पूर्व में निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार मुख्य अभियन्ता/अधीक्षण अभियन्ता/अधिशासी अभियन्ता (वि0/परि0) को निर्देशित करना सुनिश्चित करें।

5. पावर परिवर्तक एक अत्यन्त महत्वपूर्ण विद्युत अवस्थापना है जिस पर एक बड़ी धनराशि का निवेश शासन द्वारा किया जाता है। विगत में देखा गया है कि अधिकांश पावर परिवर्तक समुचित अनुरक्षण एवं प्रोटेक्शन सिस्टम के सही से कार्यरत न होने के कारण क्षतिग्रस्त होते हैं। यदि समुचित अनुरक्षण किया जाये तथा प्रोटेक्शन सिस्टम को क्रियाशील रखा जाये तो पावर परिवर्तक के क्षतिग्रस्त होने का प्रश्न नहीं उठता। इस हेतु यह आवश्यक है कि अनुरक्षण के साथ–साथ उपकेन्द्र के कार्मिकों को पर्याप्त प्रशिक्षण भी दिया जाये। यह उत्तरदायित्व सम्बन्धित अधिशासी अभियन्ता का होगा कि वह उपकेन्द्र पर तैनात समस्त कार्मिकों को इस सम्बन्ध में पर्याप्त प्रशिक्षण सुनिश्चित करायें।

6. चूंकि वर्ष 2023 में क्षमतावृद्धि, प्रोटेक्शन सिस्टम एवं अनुरक्षण आदि के लिए पर्याप्त धनराशि उपलब्ध करायी जा चुकी है, अतः यह आवश्यक है कि यह समस्त गतिविधियां समय से पूर्ण कर ली जाये। ऐसे में अब यदि पावर परिवर्तक क्षतिग्रस्त होता है तो उसमें वरिष्ठ अधिकारियों का व्यक्तिगत उत्तरदायित्व निर्धारित किया जायेगा तथा सम्बन्धित अधिशासी अभियन्ता के विरूद्ध वृहद दण्ड हेतु विभागीय कार्यवाही एवं अधीक्षण अभियन्ता के विरूद्ध भी विभागीय कार्यवाही की जायेगी। यदि किसी वितरण क्षेत्र में अधिक संख्या में पावर परिवर्तक क्षतिग्रस्त होते हैं तो सम्बन्धित मुख्य अभियन्ता के विरूद्ध भी कार्यवाही की जायेगी ।

संलग्नक– निरीक्षण चेक लिस्ट।

4/1/24

(डा० आशीष कुमार गोयल)
अध्यक्ष

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं अग्रेतर कार्यवाही हेतु प्रेषित–

1. प्रबन्ध निदेशक, उत्तर प्रदेश पावर ट्रांसमिशन कारपोरेशन लिमिटेड, शक्ति भवन, लखनऊ।
2. प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लिमिटेड, शक्ति भवन, लखनऊ।
3. निदेशक (वितरण), उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लिमिटेड, शक्ति भवन, लखनऊ।
4. निदेशक (तकनीकी), पूर्वांचल–वाराणसी/मध्यॉंचल–लखनऊ/दक्षिणॉंचल–आगरा/पश्चिमांचल–मेरठ/केस्को–कानपुर।
5. समस्त मुख्य अभियन्ता (वितरण), पूर्वांचल–वाराणसी/ मध्यॉंचल–लखनऊ/ दक्षिणॉंचल–आगरा/ पश्चिमांचल–मेरठ/ केस्को–कानपुर।
6. निदेशक (ईटीआई), उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लिमिटेड को इस निर्देश के साथ कि उपकेन्द्रों के अनुरक्षण, विशेष रूप से पावर परिवर्तक के अनुरक्षण से सम्बन्धित बुकलेट बनाकर तत्काल समस्त को प्रसारित कराना सुनिश्चित करें।
7. समस्त अधीक्षण अभियन्ता (वितरण), पूर्वांचल–वाराणसी/ मध्यॉंचल–लखनऊ/ दक्षिणॉंचल–आगरा/ पश्चिमांचल–मेरठ/ केस्को–कानपुर।
8. समस्त अधिशासी अभियन्ता (वितरण/परीक्षण), पूर्वांचल–वाराणसी/ मध्यॉंचल–लखनऊ/ दक्षिणॉंचल–आगरा/ पश्चिमांचल–मेरठ/ केस्को–कानपुर।

दक्षिणांचल विद्युत वितरण निगम लि0, आगरा
(उ0 प्र0 सरकार का उपक्रम)
ऊर्जा भवन, 220 के.वी. उपसंस्थान बाई पास रोड, सिकन्दरा, आगरा– 282007
CIN: U31200UP2003SGC027460

पत्रांक : 43 **/प्र0नि0/द0वि0वि0नि0लि0/तक0** **दिनांक :** 05/01/2024

विषय : पावर परिवर्तकों की क्षतिग्रस्तता के सम्बंध में।

मुख्य अभियन्ता (वितरण)
द0वि0वि0नि0लि0,
आगरा/फिरोजाबाद/मथुरा/अलीगढ़/
एटा/कानपुर–प्र0/कानपुर–द्वि0/
झांसी/बांदा।

अतिमहत्वपूर्ण

उपरोक्त विषयक अध्यक्ष, उ0प्र0पा0का0लि0, लखनऊ के पत्रांक 21/रेस्पो/क्वालिटी सेल दिनांक 04.01.2024 का संदर्भ ग्रहण करें, जिसके माध्यम से पावर परिवर्तकों की क्षतिग्रस्तता के सम्बंध में निम्नवत् निर्देश दिये हैं:–

1. जैसा की आप अवगत है कि विगत वर्ष माह अक्टूबर' 2023 में सभी प्रकार के अनुरक्षण कार्य पूर्ण किये जाने के निर्देश दिये गये थे तथा इसी उद्देश्य से माह अक्टूबर' 2023 को अनुरक्षण माह के रूप में मनाया गया था। उक्त के साथ ही "अतिरिक्त बिजनेस प्लान", "प्रति जनपद 20 करोड़ रूपये" एवं "नगर निगम" से सम्बन्धित विभिन्न योजनाओं के अन्तर्गत पावर परिवर्तकों की क्षमतावृद्धि, परीक्षण उपकरण, प्रोटेक्शन उपकरण आदि का अनुमोदन कारपोरेशन स्तर से प्रदान किया जा चुका है।
2. माह–अक्टूबर' 2023 के "अनुरक्षण माह" के अभियान में अनेक कार्य करा लिए गए है परन्तु अभी भी कतिपय स्थानों पर अनुरक्षण कार्य कराया जाना शेष है। अतः कारपोरेशन स्तर पर माह–फरवरी' 2024 को पुनः "अनुरक्षण माह" मनाये जाने का निर्णय लिया गया है, जिसके लिए पृथक से विस्तृत निर्देश जारी किये जा रहे है।
3. चूंकि पावर परिवर्तक एक अत्यन्त महत्वपूर्ण एवं क्रिटिकल इन्फ्रास्ट्रक्चर है, अतः इस सम्बन्ध में निम्न निर्देश दिये जाते है :–
   i. पावर परिवर्तक की क्षमतावृद्धि, विद्युत तंत्र का सुदृढीकरण, सी0टी0, पी0टी0, ब्रेकर एवं रिले की क्रियाशीलता तथा पावर परिवर्तकों के अनुरक्षण सम्बन्धी कार्य माह फरवरी' 2024 तक करा लिये जाये। जहाँ पर पावर परिवर्तक की डिलिवरी फरवरी' 2024 के बाद सम्भावित है, वहाँ पर समस्त शेष कार्य पहले से पूर्ण कर लिये जाए।
   ii. डिस्काम के अन्तर्गत अधिभारित पावर परिवर्तकों की क्षमतावृद्धि पूर्व में प्रेषित प्रस्ताव के अनुसार अनुमोदित की जा चुकी है परन्तु फिर भी यदि अन्य पावर परिवर्तक आगामी ग्रीष्म ऋतु में अतिभारित होने की आशंका है तो आवश्यकतानुसार अतिरिक्त कार्यो का तत्काल अनुमोदन करा लें एवं मौके पर कार्य कराया जाये। इसका कार्योत्तर अनुमोदन निदेशक मण्डल से भी तत्काल ले लिया जाए।
   iii. विद्युत उपकेन्द्र की क्षमता वृद्धि के लिए अतिभारिता की प्राथमिकता के अनुसार, पावर परिवर्तक का डिलिवरी शिड्यूल तैयार कर दिया जाये तथा सभी को अवगत करा दिया जाये, जिससे समस्त तैयारी समय से पूर्व हो जाए।
   iv. उपकेन्द्र पर प्रोटेक्शन हेतु लगे Relays का Synchronization इस प्रकार किया जाए कि ट्रिपिंग की आवृत्ति (Frequency) तथा समय न्यूनतम हो साथ ही इसका विद्युत तंत्र पर विपरीत प्रभाव न पड़े।

v. अधिशासी अभियन्ता (परीक्षण) समस्त उपकेन्द्रों के प्रोटेक्शन सिस्टम की जाँच करते हुए इनको क्रियाशील अवस्था में रखना तथा न्यूनतम ट्रिपिंग हेतु व्यवस्था सुनिश्चित करेंगे।

vi. अधिशासी अभियन्ता (वितरण) द्वारा भी शत–प्रतिशत उपकेन्द्रों का चेक लिस्ट (संलग्न) के अनुसार निरीक्षण किया जाए।

vii. अधीक्षण अभियन्ता तथा मुख्य अभियन्ता द्वारा भी 20–20 पृथक उपकेन्द्रों का चेक लिस्ट के अनुसार निरीक्षण किया जाए।

4. डिस्काम अपने स्तर से भी पूर्व में निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार मुख्य अभियन्ता/अधीक्षण अभियन्ता/अधिशासी अभियन्ता (वि0/परि0) को निर्देशित करना सुनिश्चित करें।

5. पावर परिवर्तक एक अत्यन्त महत्वपूर्ण विद्युत अवस्थापना है जिस पर एक बड़ी धनराशि का निवेश शासन द्वारा किया जाता है। विगत में देखा गया है कि अधिकांश पावर परिवर्तक समुचित अनुरक्षण एवं प्रोटेक्शन सिस्टम के सही से कार्यरत न होने के कारण क्षतिग्रस्त होते हैं। यदि समुचित अनुरक्षण किया जाये तथा प्रोटेक्शन सिस्टम को क्रियाशील रखा जाये तो पावर परिवर्तक के क्षतिग्रस्त होने का प्रश्न नहीं उठता। इस हेतु यह आवश्यक है कि अनुरक्षण के साथ–साथ उपकेन्द्र के कार्मिकों को पर्याप्त प्रशिक्षण भी दिया जाये। यह उत्तरदायित्व सम्बन्धित अधिशासी अभियन्ता का होगा कि वह उपकेन्द्र पर तैनात समस्त कार्मिकों को इस सम्बन्ध में पर्याप्त प्रशिक्षण सुनिश्चित करायें।

6. चूंकि वर्ष 2023 में क्षमतावृद्धि, प्रोटेक्शन सिस्टम एवं अनुरक्षण आदि के लिए पर्याप्त धनराशि उपलब्ध करायी जा चुकी है, अतः यह आवश्यक है कि यह समस्त गतिविधियां समय से पूर्ण कर ली जाये। ऐसे में अब यदि पावर परिवर्तक क्षतिग्रस्त होता है तो उसमें वरिष्ठ अधिकारियों का व्यक्तिगत उत्तरदायित्व निर्धारित किया जायेगा तथा सम्बन्धित अधिशासी अभियन्ता के विरूद्ध वृहद दण्ड हेतु विभागीय कार्यवाही एवं अधीक्षण अभियन्ता के विरूद्ध भी लघु दण्ड हेतु विभागीय कार्यवाही की जायेगी। यदि किसी वितरण क्षेत्र में अधिक संख्या में पावर परिवर्तक क्षतिग्रस्त होते हैं तो सम्बन्धित मुख्य अभियन्ता के विरूद्ध भी कार्यवाही की जायेगी।

(अमित किशोर)
प्रबन्ध निदेशक

पत्रांक : /प्र0नि0/द0वि0वि0नि0लि0/तक0/ **दिनांक :**

प्रतिलिपि–निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेशित :–

1. **निदेशक (तकनीकी), द0वि0वि0नि0लि0, आगरा।**
2. **मुख्य अभियन्ता (तकनीकी), द0वि0वि0नि0लि0, आगरा।**
3. **समस्त अधीक्षण अभियन्ता, द0वि0वि0नि0लि0, आगरा।**

(अमित किशोर)
प्रबन्ध निदेशक

Format for Inspection of 33/11 kV Substation

Name of Distribution Division-
Name of Distribution Sub-Division-
Name of 33/11 kV Substation -
Capacity of 33/11 kV Substation (MVA) -
Name & Designation of Inspecting Officer -
Date of Inspection-

Switchyard & Control Room

S. No.	Particulars	If found OK then mark ✓ (mention date where required)	Mention Discrepancy if found any
A	**Switchyard**		
1	Bus Bar		
2	Joints, Jumpers, Connectors & Clamps		
3	Fuse Set		
4	Lightening Arrestor		
5	Earthing		
6	Pale Fencing/Boundry/Gate		
7	Grass, Creeper on structures & General Cleanliness		
8	Bucket filled with sand		
B	**Control Room**		
1	Battery		
2	Battery Charger		
3	Sand in cable trench		
4	Availability of Sand filled buckets		
5	Fire Extinguisher		
6	Leakage of water from roof		
7	Exhaust fan & Lighting		
8	Cleanliness		
9	Availability of Hydrometer		
10	Self Sticking Stickers for Shutdown (as per letter no. 2843/RESSPO/Quality Cell dated 17.07.2023)		
C	**Power Transformer wise Working condition of 11kV Capacitor Bank/ APFC**		
1	Capacity in MVAR		
2	Date of Installion		
3	Functional (Yes/No)		
4	Warranty status if not functional		
5	AMC Status		

D	Training & Orientation (To be filled for the staff of the substation)				
D (1) General & Technical awareness of JE & SSO					
S. No.	**Points**	**Having knowledge**			
		All	**Most**	**Some**	**Very less/ None**
1	knowledge of Daily check points of different equipment installed at substation				
2	Knowledge of recording different electrical parameters (Energy, Current, Voltage, Oil & Winding temperature, knowledge of MF, specific gravity of battery water etc.)				
3	Knowledge of protection relay settings				
4	Operational sequence of switchgears for providing shut down and for charging of line after returning shutdown				
5	Knowledge of function of buchholz relay				
6	Knowledge of using fire extinguishers				
7	What to do and not to do in case of electrical fire				
8	How to check hot points in switchyard by visualization				
9	Working of Current transformer (CT) and Potential transformer (PT)				
10	Knowledge of different type of registers to be maintained at sub-stations				
11	Knowledge of SWG of fuse wire required for installed power transformer				
12	Maximum & Minimum load on power transformers and 11 kV feeders during the year				
13	Knowledge of using different testing & measuring instrument like Multimeter, Megger, Earth resistance tester etc.				
14	Knowledge of different conductors and AB cables of various sizes and their maximum current carrying capacity				
15	Knowledge of rated current of power transformers and distribution transformers of different capacities				
16	No. of consumers (Category wise) in the area				
D (2) General & Technical awareness of Lineman					
S. No.	**Points**	**Having knowledge**			
		All	**Most**	**Some**	**Very less/ None**
1	No. of consumers (Category wise) in the area				
2	List of defaulter consumers				
3	Name and sanctioned load of industrial consumers in the area				
4	No. of installed Ditribution Transformers (Capacity wise)				
5	List of Distribution transformers damaging frequently on same plinth and remedies required or done to avoid the same				
6	Knowledge of load balancing of distribution transformers				
7	Knowledge of rated current of distribution transformers of different capacities				
8	Knowledge of SWG of fuse wire required for installed distribution transformer (HT & LT side both)				
9	Knowledge of using Multimeter/Clamp meter				
10	Procedure of taking shutdown and returning the same				
11	Knowledge of length and route of associated 11 kV & LT lines, crossings of HT over HT and HT over LT				
12	Knowledge of safety precautions to be taken while working on lines				

Format for Inspection of 33/11 kV Power Transformer

S. No.	Particulars	If found OK then mark ✓ (mention date where required)	Mention Discrepancy found (if any)
E	**Power Transformer No.-**		
	Capacity (MVA)-		
	Make of Transformer-		
	Date of Installation-		
	Date of repairing (if repaired)-		
1	Oil Level in Conservator Tank		
2	Overheating (red hots) at terminal connections		
3	Tightness of Clamp connections, joints		
4	Abnormal Noise & Vibration		
5	Insulation Resistance of Power Transformer (HV to LV, HV & LV to Earth after disconnecting neutral)		
6	Lightening Arrestors of Power Transformer		
7	Oil leakage from Transformer Body & Radiator		
8	Buchholz Relay (Alarm & Trip contacts)		
9	Bushings (HV/LV) for cleanliness and cracks		
10	Condition of transformer body earthing (at 02 different points)		
11	Condition of neutral earthing (separate from body earthing)		
12	Breather-Silica Gel Color & Oil in the Seal		
13	Oil Temperature		
14	Winding Temperature		
15	Transformer Loading		
16	PRV/Explosion Vent Diaphragm (cracks,leakages etc.)		
17	Arcing Horn		
18	Last date & results of transformer oil testing for BDV		
19	Cable Jointing kit at HT side		
20	Condition of cooling fans (if applicable)		

Format for Inspection of 33 KV & 11 KV Switchgear

S. No.	Particulars	If found OK then mark ✓ (mention date where required)	Mention Discrepancy found (if any)
F	**11 kV Switchgear Name -**		
1	Tripping		
2	Last date of testing of Tripping (if not found ok)		
3	Metering (last date of testing by check meter & its results)		
4	11 kV Cable as per load on Incoming & Outgoing		
5	Indoor & Outdoor Cable box condition		
6	11 kV CT as per load on Incoming & Outgoing		
G	**33 kV Switchgear & Control Panel Of T/F No-**		
1	33 kV Isolator (Jaws, operating mechanism etc.)		
2	Operating Condition of VCB		
3	Condition of Control Panel		
4	Local/Remote Closing & Tripping		
5	Auto/Manual Tripping		
6	Last date of testing of Tripping (if not found ok)		

Significant events if any		
S. No.	**Detail of events**	**Date of occurance**
1		
2		
3		

Previous inspection details

Date of inspection:
Name of Officer:
Designation:

S. No.	Major shortcomings found in previous inspection	ATR
1		
2		
3		

Joint inspection with EE Transmission & EE (Test)

Date of last Relay synchronization:

Inspected By-

Signature:
Name:
Designation:
Date of inspection:

दक्षिणांचल विद्युत वितरण निगम लि0, आगरा
(उ0 प्र0 सरकार का उपक्रम)
ऊर्जा भवन, 220 के.वी. उपसंस्थान बाई पास रोड, सिकन्दरा, आगरा– 282007
CIN: U31200UP2003SGC027460

पत्रांक : 49 /प्र0नि0/द0वि0वि0नि0लि0/तक0 **दिनांक : 08/01/24**

विषय : 33/11 के0वी0 विद्युत उपकेन्द्रों एवं स्थापित पॉवर परिवर्तकों के निरीक्षण के सम्बन्ध में।

मुख्य अभियन्ता (वितरण)
द0वि0वि0नि0लि0,
आगरा/फिरोजाबाद/मथुरा/अलीगढ़/
एटा/कानपुर–प्र0/कानपुर–द्वि0/
झांसी/बांदा।

अतिमहत्वपूर्ण

उपरोक्त विषयक दिनांक 03.01.2024 को अध्यक्ष, उ0प्र0पा0का0लि0 द्वारा वी0सी0 के माध्यम से आहूत समीक्षा बैठक में निर्गत निर्देशों के अनुपालन में निर्देशित किया जाता है कि क्षेत्र के अन्तर्गत समस्त 33/11 के0वी0 विद्युत उपकेन्द्रों पर स्थापित पॉवर परिवर्तको का निरीक्षण कर पायी जाने वाली कमियों को चिन्हित करते हुए तत्काल सुधार हेतु कार्ययोजना बनाकर क्रियावन्वयन को कार्यवाही कराना सुनिश्चित करें।***(प्रारूप सलंग्न है।)***

उपरोक्त के अनुक्रम में 33/11 के0वी0 विद्युत उपकेन्द्रों की जांच निम्नानुसार सुनिश्चित की जायें।

1. मुख्य अभियन्ता(वितरण) – 10 प्रतिशत
2. अधीक्षण अभियन्ता(कार्य मण्डल) – 20 प्रतिशत
3. अधीक्षण अभियन्ता(वितरण) – 20 प्रतिशत
4. अधिशासी अभियन्ता(परीक्षण) – 20 प्रतिशत
5. अधिशासी अभियन्ता(वितरण) – 30 प्रतिशत

इस सम्बन्ध में उपकेन्द्रों की जांच हेतु मुख्य अभियन्ता (वितरण) द्वारा उपकेन्द्रों का चयन करके निरीक्षण की कार्यवाही सुनिश्चित करायी जायेगी एवं अधीक्षण अभियन्ता (कार्य मण्डल) द्वारा जोन स्तर पर निरीक्षण सम्बन्धी समस्त सूचना प्राप्त करके डिस्कॉम मुख्यालय को दिनांक 08.01.2024 तक प्रेषित किया जाएगा।

इसके अतिरिक्त यह भी निर्देशित किया जाता है कि 20 करोड़ प्रति जनपद, 339.50 करोड़ एवं नगर निगम के अन्तर्गत स्वीकृत कार्यों को समयबद्ध तरीके से पूर्ण कराना सुनिश्चित करें, जिससे विद्युत व्यवधान में कार्यों के साथ–साथ पॉवर परिवर्तकों को क्षतिग्रस्तता को भी कम किया जा सकें।

सलंग्नक–यथोपरि।

(अमित किशोर)
प्रबन्ध निदेशक

पत्रांक : /प्र0नि0/द0वि0वि0नि0लि0/तक0/ **दिनांक :**

प्रतिलिपि–निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:–

1. निदेशक(तकनीकी), द0वि0वि0नि0लि0, आगरा।
2. मुख्य अभियन्ता (तकनीकी), द0वि0वि0नि0लि0, आगरा।
3. समस्त अधीक्षण अभियन्ता, विद्युत वितरण मण्डल, द0वि0वि0नि0लि0, आगरा।
4. समस्त अधीक्षण अभियन्ता, विद्युत कार्य मण्डल, द0वि0वि0नि0लि0, आगरा।
5. समस्त अधिशासी अभियन्ता, वि0वि0ख0, द0वि0वि0नि0लि0, आगरा।
6. समस्त अधिशासी अभियन्ता, वि0परी0ख0, द0वि0वि0नि0लि0, आगरा।

(अमित किशोर)
प्रबन्ध निदेशक